वकील के द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण की जारी होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14.11.2019 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

१५.११.१९ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं सरकार पैरोकार उप०। जवाब दावा हेतु पुनः अवसर चाहने पर मिसल दिनांक २६.११.१९ को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

२६.११.१९ पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। वकील वादी एवं सरकार पैरोकार उप०। सरकार पैरोकार ने जवाब दावा पेश कर रिकॉर्ड दुरुस्ती करने की सहमति प्रदान की गई है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील आइन्दा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
26.11.19
उपखण्ड अधिकारी
Sharma
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 194 / 2019 दिनांक–14.10.2019

बलबीर सिंह पुत्र श्री टीकूराम जाति जाट निवासी मोहब्बतसरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री अमसिंह शेखावत
वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार

दावा : बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 26.11.2019

वादी द्वारा एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम घोडीवारा खुर्द की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 31 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 61 / 1.5500, 66 / 0.0300, 67 / 0.0300, 68 / 2. 0900, 70 / 0.800 कुल किता 5 कुल रकबा 3.8700 हेक्टर स्थित है उपरोकत भूमि वादी की पैत्रिक भूमि है जिस पर वादी अपने हिस्से पर काबिज व आबाद है और हिस्से अनुसार ही अपनी भूमि को काश्त करता है। हिस्से व कब्जे काश्त को कोई विवाद नही है हिस्से बाबत उपरोक्त वाद मे वादी द्वारा कोई सिद्धी नही चाही गई है। वादी के पिता टीकूराम को देहान्त हुआ तब उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण वादी व वादी के भाईयों के नाम दर्ज हुआ तब उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का नाम लिपिकिये भूलवश बलवीर सिंह जगह बीरबल दर्ज हो गया जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम बलवीर सिंह है तथा वादी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड भामाशाह कार्ड ग्राम पंचायत से जारी प्रमाण पत्र आदि में बलवीर सिंह पुत्र टीकूराम नाम दर्ज है जो सही है। और राजस्व रिकार्ड में बीरबल पुत्र टीकूराम दर्ज है जो गलत दर्ज है, जो परिवार वालों की गलती व लिपिकिय भूलवश दर्ज हो गयाथा जिसका वादी को कोई ज्ञान नही था। इसलिए राजस्व रिकार्ड मे भी बीरबल के स्थान बलवीर सिंह पुत्र टीकूराम दर्ज किया जना न्यायोचित है और इसी नाम की परिवष्टि की जाकर शुद्धि की जावे। कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम दर्ज होने से कई प्रकार की असुविधा हो रही है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम अन्य रिकार्ड से मेल नही खाता है। जबकि उक्त गलती लिपिकिय भूलवंश की गलती है। वादी के तमाम दस्तावेजों से सही नाम बलवीर सिंह पुत्र टीकूराम प्रमाणित है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने के लिये उक्त वाद पत्र घोषणार्थ का श्रीमानजी के सेवामे पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त वाद के लिए वादाधिकारी वादी कद्वारा राजस्व रिकार्ड कि नकल दिनांक 07.06.2018 व 27.05.2019 को ली व गलत रिकार्ड का पता लगने के रोज पैदा हुआ, व इस प्रकार के वद के लिए खातेदार को हमेशा वादकारण

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

करता है और अदालत बाला को हम समायत हासिल है। विवादित भूमि व पक्षकार न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में होने के कारण उक्त वाद सुनने का पुरा पुरा क्षैत्राधिकार है। दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती का होने से निश्चित कोर्ट फीस 4/– रूपये स्टाम्प पर पेश है।

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम मोहब्बतसरी पटवारी हल्का घोड़ीवारा खुर्द की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 31 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 61/1.5500, 66/0.0300, 67/0.0300, 68/2.0900, 70/0.800 कुल किता 5 कुल रकबा 3.8700 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में बीरबल पुत्र टीकूराम की जगह वादी का वास्तविक व सही नाम बलवीर सिंह पुत्र टीकूराम दर्ज किया जावे, इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। अन्य सिद्धी जो चाहे जाने से रह गई हो और वादी के हक में पड़ती हो दिलाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की है कि ग्राम मोहब्बतसरी के सरहद में खसरा नम्बर 61/1.5500, 66/0.0300, 67/0.0300, 68/2.0900, 70/0.800 कुल किता 5 कुल रकबा 3.8700 हेक्टर में वादी का नाम बीरबल पुत्र टीकूराम जाति जाट दर्ज है। उपरोक्त संबंध में ग्राम मोहब्बतसरी के मौतबिरानो के पुछताछ कि गई जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि बीरबल पुत्र टीकूराम का सही नाम बलवीर सिंह पुत्र टीकूराम जाति जाट है। ग्राम के मौतविरानो ने बताया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के नाम है, जो कि वादी का सही बलवीर सिंह है। अतः पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं राजपैराकार के जवाब के आधार पर वादी का वाद न्यायोचित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व मोहब्तसरी के खसरा नम्बर 61/1.5500, 66/0.0300, 67/0.0300, 68/2.0900, 70/0.800 कुल किता 5 कुल रकबा 3.8700 हेक्टर में वादी का नाम बीरबल सिंह पुत्र टीकूराम के स्थान पर बलवीर सिंह पुत्र टीकूराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.12.01 17:33:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: